No. LT—1023/77]. As regards the expected demand of foodgrains for public distribution for the remaining months of the year, it may be stated that these are from month to month, keeping in view the market availability and other relevant factors. It is therefore, not possible to anticipate precisely the demand for foodgrains for public distribution system of the State Governments.

(c) The recommendation of the Technical Group about the size of the buffer and operational stock are under consideration of the Government.

खाद्यान्न तथा धान के वसूली मूल्यों में वृद्धि करने का राज्यों से अनुरोध

182. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने खरीफ की फ़सल के समय से खाद्यान्नों तथा धान के वसूली मूल्यों को बढ़ाने की मांग की है और यह मांग कब की गई थी ;

(ख) प्रत्येक राज्य ने वसूली मूल्य में वृद्धि के लिये क्या कारण बताये हैं ;

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस समय नियत खाद्यान्नों का वसूली मूल्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (घ): कृषि मूल्य आयोग ने 1977–78 के खरीफ विपणन मौसम के लिए धान का वसूली मूल्य बढ़ाकर 77 रुपये प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की थी और ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी के वसूली मूल्य को जारी रखने का सुझाव दिया था। केन्द्रीय कृषि तथा सिंचाई मंत्री के साथ सितम्बर, 1977 में चर्चा के दौरान, असम, केरल और जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर अधिकांश राज्यों के मुख्य मंत्रियों/खाद्य मंत्रियों/कृषि मंत्रियों ने इस आधार पर अधिक वसूली मूल्य की मांग की थी कि उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों और राज्यों द्वारा अभिव्यक्त विचारों पर बारीकी से विचार करने के बाद भारत सरकार ने वसूली मूल्यों के स्तर के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने का निश्चय किया है। धान और चावल के संचालन पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को उठा लिया गया है ताकि कमी वाले राज्यों में खाद्यान्नों की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और उत्पादक खुले बाजार में अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके।

सिन्धी विस्थापितों के अनिर्णीत पड़े दावे

183. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1947–48 और 1948–49 के दौरान पाकिस्तान से गुजरात के जूनागढ़, राजकोट तथा जामनगर जिलों में आये सिन्धी विस्थापितों के मालिकाना दावे अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) इन अनिर्णीत मामलों का निपटान कब तक किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर): (क) से (ग). भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई भी दावा प्रारम्भिक सत्यापन के लिए अनिर्णीत नहीं पड़ा है। फिर भी भूतपूर्व सौराष्ट्र में बसाए गए सिन्धी विस्थापित व्यक्तियों के मुआवजों के दावों से सम्बन्धित 36 मामलों को अन्तिम रूप से निपटाने की कार्यवाही चल रही है। ये मामले निम्न हैं :—

जूनागढ़	.	.	31
राजकोट	.	.	4
जामनगर			1
			36

आशा है इन मामलों का शीघ्र निपटान कर दिया जायगा ।

Memo from Director of National Federation of Cooperative Sugar Factories against Uneconomical levy Sugar Prices

184. SHRI PRASANNBHAI MEHTA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether a memorandum has been sent by the Director of the National Federation of Co-operative Sugar Factories to the Minister against the uneconomical prices for levy sugar;

(b) if so, whether Government have taken any decision on the recommendations of the Marathe Committee; and

(c) if not, when the same is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) A memorandum No. F. 13-56/77-SP dated 29th June, 1977 addressed to the Minister for Agriculture and Iriigation was received from the Vice-President of the Federation.

(b) In its meeting held on 27-10-77 the Cabinet took a decision on the recommendations made by the Marathe Committee accepting the minimum notified cane price as the basis of fixing levy sugar prices, but deciding that each mill will be considered individually for fixing the price of its levy sugar.

(c) Question does not arise.

Change in the Procedure of Furnishing Security for Meter by D.E.S.U.

185. DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that new allottees of Government quarters in Delhi /New Delhi are asked by the D.E.S.U. to clear the arrears, if any, of the previous occupants and also to deposit cash security for meter when they apply for the reconnection of the electricity;

(b) the reasons for changing the procedure of furnishing the security on behalf of the allottee by the office of the concerned allottee; and

(c) whether Government are aware that the above change has created difficulties particularly for the low-paid employees of the Government, and if so, the steps Government propose to take to restore the previous procedure?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR